

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/डीपीसी/2018/593

दिनांक : 26/09/2018

प्रधानाचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, संबंधित।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित/
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित।
आहरण एवं वितरण अधिकारी, संबंधित।

विषय : डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2018 के मध्य पदौन्नति प्राप्त चिकित्सकों को एरियर के भुगतान के संबंध में।
सन्दर्भ : निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 573 दिनांक 10.09.18 एवं 592 दिनांक 18.09.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के द्वारा चाही गई सूचना आज दिनांक तक प्राप्त होना अपेक्षित है, जिन कार्यालयों द्वारा सूचना भिजवाई गई है वह पूर्ण नहीं है। इस बाबत आपको अधो-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बार-बार दूरभाष पर अवगत करवाये जाने के उपरान्त भी सूचना अप्राप्त है। इस स्थिति को उच्च स्तर पर गम्भीरता से लिया गया है।

अतः डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2018 के मध्य पदौन्नति प्राप्त चिकित्सकों को दिये गये एरियर की पूर्ण सूचना एक्सल फॉर्मेट व हार्ड कोपी में संलग्न पत्रानुसार तैयार कर ई-मेल आईडी addldirgaz@gmail.com व sanjeevjdr@yahoo.com पर आज ही सायं 04:00 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्देशानुसार प्रकरण में पडने वाले विपरीत प्रभाव के लिए उत्तदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

संलग्न : निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक
592 दिनांक 18.09.18 (संलग्न एक्सल शीट)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/डीपीसी/2018/593

दिनांक : 26/09/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (आरसीएच/एड्स/ईएसआई/एमएसयू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन एवं मेडिकल कॉलेज अन्तर्गत एवं अन्य समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी से ईकजाई सूचना तैयार कर एक्सल फॉर्मेट व हार्ड कोपी में आज ही सायं 05:00 बजे तक उपरोक्त ई-मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट/ई-मेल आईडी पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-राजपत्रित / डीपीसी / 2018 / 592

दिनांक 18.9.18

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय:- डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2018 के मध्य पदोन्नति प्राप्त चिकित्सकों को एरियर के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- राजपत्रित / डीपीसी / 2018 / 573 दिनांक 10.09.2018

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग में कार्यरत चिकित्सक जिन्हें डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2018 तक की अवधि से पदोन्नति प्रदान की गई है, उक्त में से आपके अधीन कार्यरत किन-किन चिकित्सकों को पदोन्नति की तिथि से एरियर का भुगतान किया गया है, की पूर्ण सूचना चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना इस निदेशालय को 3 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करावें तथा साथ ही मेल आई.डी. adddirgaz@gmail.com पर सॉफ्टकापी भी भिजवाना जाना सुनिश्चित करावें, जिससे प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जा सकें।

क्र. सं.	नाम चिकित्सक एवं पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति दिनांक	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पश्चात कार्यग्रहण दिनांक	दिनांक जिससे एरियर का भुगतान चुकाया गया	चुकाई गई राशि

EN

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-राजपत्रित / डीपीसी / 2018 / 592

दिनांक 18.9.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (आर.सी.एच./एड्स/ई.एस.आई./एम.एस.यू.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सा समूह।
4. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. समस्त अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
6. प्रधानाचार्य रा.प.क. प्रशिक्षण केंद्र अजमेर/जयपुर।

क्र. सं.	शिकित्सक का नाम एवं पदनाम	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति दिनांक	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति के तहत कार्यग्रहण दिनांक	दिनांक जिससे एरियर का भुगतान चुकाया गया	चुकाई गई राशि
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					